

26/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। पीठसीन अधिकारी अन्य कार्र्ण मे व्यस्त है/ भ्रमण पर हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 18/6/18 को पेश हो।

पार्क 5/18
-चाही गई
रात्रि की
सुविधा
विभाजन पर
वाड भु.न.
168/2016
के लक्ष्य प्राप्त
हो जमी ह

18/6/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत-न्याय आषके द्वार-2018 कैम्प- बगड़ी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण दावा के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण दावा विभाजन का है जिसमें उल्लेखित आराजियात, खातेदार, पक्षकार व विषयवस्तु से संबंधित एक अन्य वाद सं. 168/2016 उनवान सुल्तानसिंह बनाम नंदकिशोर आदि को तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन-प्रस्ताव मय नक्षी नक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि के आधार पर उक्त प्रकरण को अंतिम डिकी किया जाकर निर्णित किया जा चुका है। चूंकि हस्तगत प्रकरण वाद में उल्लेखित आराजियात में पक्षकारों/खातेदारों को बदेवारे का अनुतोष संबंधित अन्य वाद सं. 168/2016 उनवान सुल्तानसिंह बनाम नंदकिशोर आदि में दिया जा चुका है। इस बाबत पत्रावली पर कैम्प स्थल पर ही तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ ने भी उक्त अनुतोष दिए जाने का हस्तगति पत्रावली में अतः हस्तगत पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः हस्तगत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शम्भर हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प- बगड़ी

तहसीलदार (भू-
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

44/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। पीजपीन की कार्य में व्यस्त है/ प्रस्ताव 18/4/18 पर आदेशानुसार दिनांक 18/4/18 को पेश हो।

25/118

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। पीजपीन की कार्य में व्यस्त है/ प्रस्ताव 18/6/18 पर आदेशानुसार दिनांक 18/6/18 को पेश हो।

18/6/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार-2018 कैम्प-बगड़ी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण प्रार्थना-पत्र अ.धा 251-क के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थी ने आवागमन हेतु अपने खेत में रास्ते की मांग की है जिसमें उल्लेखित आराजियात, खातेदार, पक्षकार व विषयवस्तु से संबंधित एक अन्य वाद सं. 168/2016 उनवान सुल्तानसिंह बनाम नंदकिशोर आदि को तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन-प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि के आधार पर उक्त प्रकरण को अंतिम डिक्री किया जाकर निर्णित किया जा चुका है। जिसमें उक्त को रास्ता मिल चुका है। चूंकि हस्तगत प्रकरण प्रार्थना-पत्र अ.धा 251-क में उल्लेखित आराजियात में पक्षकारों/खातेदारों को बंटवारे के साथ नियमानुसार रास्ते का अनुतोष संबंधित अन्य वाद सं. 168/2016 उनवान सुल्तानसिंह बनाम नंदकिशोर आदि में दिया जा चुका है। इस बाबत पत्रावली पर कैम्प स्थल पर ही तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ ने भी उक्त अनुतोष दिया जाने बाबत टिप्पणी अंकित की। अतः हस्तगत पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना-पत्र अ.धा 251-क इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प बगड़ी (सीकर)

प्राथी कार्य
यहाँ गई रास्ते की
सुविधा विभाजन
उत्तराव वाड
मु.न. 168/2016
के तहत कार्य
हो गयी है।

त/